(9)

श्री के. तिवारी एड० को

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक –दो/2017 निगरानी R 528-II-17

1– आयुष अग्रवाल पुत्र बिनोदकुमार अग्रवाल
निवासी 1162 सिविल लायन
नगर झांसी, जिला झांसी उत्तर प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन व्दारा
कलेक्टर जिला शिवपुरी ---असल अनावेदक

2– श्रीमती भगवती पुत्री प्रताप सिंह यादव
पत्नि मलखान सिंह ग्राम जरगवां अब्बल
(घुटरा) तहसील करैरा जिला शिवपुरी

3– श्रीमती रामवती पुत्री भवूत सिंह
पत्नि पहलवान सिंह ग्राम डबरा दिनारा
तहसील करैरा जिला शिवपुरी ---तरतीवीं अनावेदकगण

G.P. Nayak Adv.

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 – श्रीमान तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 111/2013–14 अ–6 में पारित आदेश दिनॉक 27–4–2016 के विरूद्ध)

कृ0पृ0उ0––2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक 528–दो/2017 निगरानी जिला शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
3/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार करैरा के प्रकरण कमांक 111/13–14 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 27–4–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ प्रकरण की प्रचलनशीलता पर विचार करने पर स्थिति यह है कि भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नहीं रही है। तद्नुसार प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, करैरा की ओर निराकरण हेतु अंतरिम किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक निगरानी को अपील में बदलकर सुनवाई करा सकेंगे। आवेदक अनुविभागीय अधिकारी करैरा के न्यायालय में दिनांक 28–1–19 को उपस्थित होवें। सदस्य	